

भाग-V

प्रस्ताव सं०- 40107/2020

(इसे वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार से किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है)

18- राज्य सरकार की सिफारिश

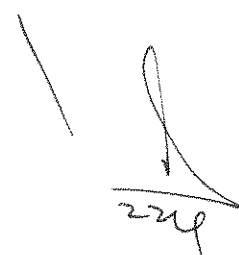
(उपर्युक्त भाग ख या भाग ग भाग घ में किसी

अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गयी प्रतिकूल

टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाए)

CF. Bandy

.....की संस्तुति
के आधार पर स्वीकृतार्थ
संस्तुति की जाती है ।



हस्ताक्षर
Pankaj Misra
Chief Conservator of Forests/Judal Officer
Forest Conservation Act, 1950
नाम-
U.P. Lucknow

दिनांक- 22/8/2020

स्थान-

सरकारी मोहर